



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 1144/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2011-43-मा०सं०(04)/2008(टी०सी०-111)

दिनांक 29 नवम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कर्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन द्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं०-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 08.12.2008 एवं कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र सं०-3-जी-आई-28/दस-2008, दिनांक 06.01.2009 (जिन्हें उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-804/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2019-43-मा०सं०(04)/2008 दिनांक 26.05.2009 द्वारा अंगीकृत पाकालि के का०ज्ञाप सं०: 397-पी०एण्ड आर०-28/पाकालि/2009-60 पी०एण्ड आर०/98, दिनांक 02.03.2009 के माध्यम से अंगीकृत किया जा चुका है) के कमश: ब्र प्रस्तर सं०-4(2) एवं प्रस्तर-(1) की व्यवस्थाओं को संशोधित करते हुये उ०प्र० शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के कार्यालय सं०-3-1622/दस-2010-308/97, दिनांक 10.11.2010 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 01.01.2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कर्मिकों को 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर पूर्ण पेंशन का लाभ दिये जाने की व्यवस्था दिनांक 08.12.2008 के स्थान पर दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी होगी।

उ०प्र० शासन द्वारा संशोधित उक्त व्यवस्था को, पाकालि के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1853-पे०एण्ड आर०/पाकालि/10-60 पी/98-टी०सी०-1, दिनांक 22.06.2011 की अनुरूपता में, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के सेवानिवृत्त/मृत कर्मिकों के लिए लागू किये जाने हेतु निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप को अंगीकृत किया जाता है।


अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 1144 (1)/मा०सं०(04) /उ०नि०लि०/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. निदेशक, (कार्मिक/वित्त/तकनीकी), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
3. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन/वित्त, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक (मा०सं०/लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता(प्रशिक्षण), कक्ष सं०: 902, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, सोनभद्र/झाँसी/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
9. मुख्य प्रबन्धक, (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (पेंशन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. समस्त अधिकारीगण, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, (मु०) शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,


(एम०डी० मिश्र)

उप सचिव (मा०सं०-04)